न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त अहकाम इस हुक्म तारीख को जारी हुये
	मनोज बनाम राजस्थान सरकार प्र.क्र. 1364/2020	
21.10.21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा गांवों के लिए कैम्प अभ्यावेदन दि. 9.11.21 को निर्धारित। शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा (दौसा)	
9.11.21	पत्रावली प्रशासन गांवों के द्वारा अतिरिक्त कैम्प अभ्यावेदन पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश शर्मा, प्रार्थी की ओर से अतिरिक्त अभ्यावेदन लिखित में प्रस्तुत किये गये है। जो जनहित में अभ्यावेदन प्रस्तुत आदेश जिनसे जनहित में पत्रावली प्रस्तुत किये गये वो आदेश हमने प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया, जिसमें प्रार्थी मनोज पुत्र देवीलाल जाति ब्राह्मण ने एक आ.पत्र अन्तर्गत धारा 36 एफ.आर. का पेश किया जिस में आसोली 58 कैम्प, बिलोक, 55 कैम्प, 60 कैम्प, 14 शिविर 2 कैम्प व बिलोक और चांदी ग्राम क्रमशः 2 में प्रार्थी का नाम है। इसे पत्रावली से गायब जबकि प्रार्थी के छोटे भाई मनोज पुत्र देवीलाल को है। हमने प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया वहसीलदार रामगढ़ पचवारा को आदेश दिया जाता है।	

29.10.20 | 29.10.20

किये जाने जिसके प्रार्थी का नाम मनोज कुमार देवी पत्नी होना बताया गया। जबकि राजस्व रिकार्ड में हेमा कुमारी देवी नाम दर्ज हो गया है जिसके मनोज कुमार देवी नाम शुद्ध किया जावे।

हमने प्रस्तुत पत्रावली का गहन अध्ययन किया जिसके प्रार्थी का अपील पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होकर प्रार्थी का अपील पत्र अन्तर्गत धारा 15(1) स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देश दिये जाते है की वाद ग्राम आसपुरी खा० नं० 58, खा० नं० 55, खा० नं० 62, खा० नं० 29 वाले ग्राम अमरावत के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हेमा देवी के स्थान पर मनोज कुमार देवी नाम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। निर्णय आज दिनांक 01.11.24 को लिखा जाकर हस्ताक्षर पत्रावली के साथ सुरक्षित होकर बन्द किया जावे।

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (दौसा)